

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2023/ 187.

दिनांक: 16.01.24.

निमित्त:-

अधिशायी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड- अकलेरा।

विषय:- : Diversion of 0.90 ha. of forest land in favour of public works
Department Jhalawar for Construction of approach road
Jhalrapatan railway station. PROPOSAL NUMBER(FP/RJ/ROAD
/38150 /2019)

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक 2857 दिनांक 22.12.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक 10498 दिनांक 09.12.2021 से प्रकरण में जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट प्रेषित किया गया था। श्रमिक दर में बढ़ोतरी 252/- से 259/- होने के कारण संशोधित डिमांड नोट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. स.	सैद्धान्तिक स्वीकृती की शर्त संख्या	मद	संशोधित डिमांड नोट (श्रमिक दर 259 रुपये)	पूर्व में जमा राशि	शेष राशि
1.	शर्त संख्या 10	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	149288 /-	145253 /-	4035 /-

शुद्ध देय राशि 4035/- (चार हजार पैंतीस रु)

उक्त डिमांड राशि को जमा करवाकर सूचित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(वी. चेतन कुमारIFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2023/ 188-90

दिनांक: 16.01.24.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति०. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी झालावाड़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हो उसकी सुनिश्चिता करें

उप वन संरक्षक
झालावाड़